

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

आदेश

14-06-2022

आज यह प्रतावली अदालत में पेश हुयी। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त करने की याचना की गयी है। आदेश हुआ कि अभियुक्त को मु०-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में 2 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। तदनुसार मुकदमा का निस्तारण किया जाता है।

सी०जे०एम० कुशीनगर